## पीठासीन अधिकारी – श्री विनोद कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 11/2018

दायर तारीखः 10.04.2018
निर्णय दिनांकः 11.05.2018
न्याय आपके द्वार केम्पः खाण्डीओबरी

कालुराम पिता खोमजी बनाम राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार खेरवाड़ा

### :– धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956:–

उपस्थितः
वादी की ओर से :– कालूराम पिता खेमजी
प्रतिवादी की आरे से :– तहसीलदार खेरवाड़ा

### :– निर्णयः–

वादी कालुराम पिता खेमजी निवासी कालाखेत, खाण्डीओबरी तहसील खेरवाड़ा की ओर से दिनांक 10.04.2018 को यह वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत किया।

वाद पत्र के अनुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072 – 75.के खाता संख्या 12/9 में सा. देह खातेदार काला पिता खेमजी भील के बजाय राजस्व रिकोर्ड में सा. देह खातेदार कालूराम पिता खेमजी भील निवासी कालाखेत करवाने का प्रार्थना प्रस्तुत किया है।

आज आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में वादी की मौजूदगी में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद से सम्बन्धित दस्तावेज यथा वादी का आधार कार्ड , सरपंच ग्राम पंचायत खाण्डीओबरी द्वारा प्रमाणीकरण, संयुक्त खातेदार नहीं होने के कारण अनिल पिता सवजी जाति मीणा निवासी खाण्डीओबरी का बयान, पटवारी हल्का खाण्डीओबरी की रिपोर्ट एवं तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट में काला के बजाय कालूराम किये जाने की अनुशंषा पेश की गई।

उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में वर्णित जमाबन्दी सम्वत् 2072–75.में सा. देह खातेदार काला पिता खेमजी भील के बजाय राजस्व रिकोर्ड में सा. देह खातेदार कालूराम पिता खेमजी भील निवासी कालाखेत पटवार क्षेत्र खाण्डीओबरी की रिकार्ड शुद्धि कर अमल दरामद की कार्यवाही हेतु तहसीलदार खेरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं।
निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प खाण्डीओबरी में सरे इजलास सुनाया गाया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

( विनोद कुमार )
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा